49/2017 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 49/2017 अनवानी कुलदीप कौर पत्नि सुखविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 27ए तहसील अनूपगढ़ बनाम अमनदीप सिंह पुत्र भूर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 के.ए. तहसील अनूपगढ़ 2–तेजा सिंह पुत्र चन्द सिंह 3–गुरप्रीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह 4 तहसीलदार, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

AB

25.07.2017

प्रार्थीया के अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड उपस्थित है। उन्हें एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ का कथन है कि अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह ने एक वाद सं0 16/2017 तेजासिंह बनाम अमनदीप सिंह आदि, उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में धारा 53, 188 राज0 कातश्कारी अधिनियम का पेश कर रखा है जिसमें प्रार्थीया, अप्रार्थी सं0 2 के रूप में दर्ज है और उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है। अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह, प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम में दिनांक 15.05.17 नियत होने के बाद 07.07.2017 नियत की गई किन्तु बाद में अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह के प्रभाव में आकर 05.07.17 नियत कर दी गई। इसके अलावा अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह के प्रभाव में आकर 26.05.17 नियुक्त कर दी गई। उनका आगे कथन है कि प्रार्थीया एक औरतजात है और प्रार्थीया को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने व नुकसान पहुंचान की नीयत से वाद पेश किया और वह अपनी इच्छानुसार तारीख पेशीया नियत करवा रहा है। जिससे प्रार्थीया को पूर्ण विश्वास है कि अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह, प्रार्थीया को नुकसान पहुंचाने की नीयत से वह राजनैतिक दबाब से दावा अपने पक्ष में निर्णित करवा लेगा। उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह के भू माफिया से संबंध है और थाने में भी हिस्ट्रीशीटर है और प्रार्थीया को ऐलानिया कहता है कि उसने पीठासीन अधिकारी से सांठगांठ कर ली है वह जिस प्रकार चाहेगा,उसी अनुसार अपने पक्ष में निर्णय करवा लेगा। जिस कारण प्रार्थीया को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उसे निष्पक्ष न्याय नही मिलेगा। इसलिए प्रकरण सुनवाई हेतु ग्रहण कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावे और कार्यवाही स्थगित की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं मुन्तकिली प्रा0 पत्र एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में वाद संख्या 16/2017 तेजा सिंह बनाम अमनदीप सिंह आदि धारा 188, 53 आरटीए का लंबित है। सलंग्न वादपत्र अनुसार अप्रार्थी सं0 2 तेजासिंह द्वारा अप्रार्थीगण अमनदीपसिंह, कुलदीपकौर, गुरदीपसिंह के विरूद्ध पेश किया गया है। इस प्रकरण में प्रार्थीया कुलदीप कौर प्रतिवादी सं0 2 के रूप में दर्ज है और न्यायालय की प्रस्तुत ऑर्डर शीट के अनुसार दिनांक 05.07.2017 की तारीख पेशी नियत है। प्रकरण में अभी तक साक्ष्य या बहस की कोई स्टेज नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

A3/2

जिसमें पक्षकारो की तलवी चल रही है। उक्त लंबित वाद को अन्यत्र मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रार्थीया का कथन है कि अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह हिस्ट्रीशीटर है और लोग उससे भयभीत रहते है और उसका प्रभाव पीठासीन अधिकारी पर है और उसकी राजनैतिक अप्रोच है। इसलिए उसे न्याय नही मिलेगा। इसलिए उक्त वाद प्रकरण अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना की है।

मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थीया का यह आरोप की अप्रार्थी सं0 2 तेजा सिंह की राजनैतिक अप्रोच है और उसने पीठासीन अधिकारी उसके प्रभाव में है। उक्त आरोप साधारण प्रकृति का है जो मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाता है। जबकि मुकदमा मुन्तकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है जिससे यह प्रतीत हो कि अगर प्रकरण मुन्तकिल नही किया गया तो वास्तव में प्रार्थीया के साथ अन्याय होगा। अप्रार्थी सं0 2 तेजासिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत उक्त लंबित वाद अभी प्रतिवादीगण की तलवी की स्टेज पर ही है। इसलिए उक्त प्रा0 पत्र सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य न होने से खारिज करने योग्य है।

1520
03/08/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र एडमिशन की स्टेज पर खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर